अवधी लोक गाथाओं का वैशिष्ट्य

प्रो0 पवन अग्रवाल

हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

2020

प्रस्तावना

लोकगाथायें किसी भी क्षेत्र एवं जातीय संस्कृति की संवाहक होती हैं। लोक साहित्य की विभिन्न विधाओं- लोकगीत, लोककथा, लोकनाट्य इत्यादि में, लोक संस्कृति को चिन्हित करने के उपक्रम होते हैं किन्तु लोक गाथाओं के महाकाव्यात्मक कलेवर में, क्षेत्र विशेष के इतिहास, संस्कृति, समाज आदि को प्रस्तुत करने का अवकाश प्राप्त होता है। लोकगाथाओं को विद्वानों ने विभिन्न रूप से पारिभाषित किया है। लोकगाथाओं के स्वरूप-प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित तत्त्व रेखांकित किये जा सकते हैं-

१. **संस्कृति का सबसे बलिष्ठ एवं सुरक्षित सार** (Conservative Element)

२. **सामूहिकता** (Groupism Nature)

३. **सहभागिता एवं व्यापकता** (Participation and its pervasive functionaly)

४. **नृत्य एवं वाद्य का गहरा जुड़ाव** (Strong relationship with dance and musucial instrument)

५. **लय, गति और मौखिक रूप से अभिव्यक्ति** (Bodely movement)

६. **स्थिर, अडिग निधि न होकर जीवन्त प्रक्रिया** (Lively process)

७. **अनेक मानवीय अभिव्यक्ति का सम्मिलन** (Group of human task)

लोकगाथाओं की दृष्टि से अवध क्षेत्र को खगालने पर लगभग २८ लोकगाथायें प्रमुख रूप से दृष्टिगत होती हैं। इन गाथाओं को उनके कथ्य एवं शिल्प के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। अध्ययन की सुविधा हेतु शिल्प को उसकी प्रस्तुति का आधार मानकर, कथ्य की दृष्टि से निम्नलिखित विभाजन संभव है :-

१. **वीर कथात्मक**

२. **प्रेम कथात्मक**

३. **धर्म कथात्मक**

४. **स्फुट**

अवध क्षेत्र भी लोक गाथाओं की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की लोकगाथाओं में जहाँ एक ओर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक समन्वय है वहीं अवधी समाज के लिए हास-परिहास, सुख-दुःख, रहन-सहन, खान-पान के साथ उदात्त मूल्य भी सुरक्षित है। अतः आधुनिकता के आलोक में लुप्त होती लोक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त विभाजन में नायक तथा जातिगत आधार पर भी विभाजन करना संभव है।

१. वीर कथात्मक- पुरूष प्रधान

(क) आल्हा (बनाफर क्षत्रिय)

(ख) विजय-फुलवा विवाह (क्षत्रिय, किन्तु गायक कोरी, चमार, पासी-लोध)

(ग) डाल-पाट

(घ) धिरवा (क्षत्रिय- आल्हा के अनुरूप कथा)

(ङ) रसौलिया (आभीर)

(च) थोंदी और परसू (आभीर)

(छ) हरिया-ऊभन (आभीर)

(ज) वीर पाल्हना (आभीर)

(झ) सेल्हा-सहजिया (आभीर)

(ञ) माहे-परसू (पासी)

(ट) डल्ला का गौना (धानुक)

(ठ) राणा बेणी माधव (क्षत्रिय)

नायिका प्रधान

(क) कुसुमा

(ख) चन्द्रावली

२. प्रेम कथात्मक–

नायक प्रधान

(क) पारस का ब्याह (अहीर)

(ख) शोभा बन्जारा (वैश्य-तेली)

नायिका प्रधान

(क) चनैनी (भुजुआ)

(ख) अहिराईन (आभीर)

(ग) घनई

३. धार्मिक

(क) भरथरी
(ख) गोपीचंद
(ग) सरवन
(घ) धानू भगत
(ङ) सीता वनवास
(च) संत रविदास

४. स्फुट

(क) कुँवर लस्टकी
(ख) इन्द्रपरी का छलावा
(ग) घनई

उपर्युक्त लोकगाथाओं में अवध क्षेत्र में बहुश्रुत है किन्तु यह जाति विशेष के समूह में प्रचलित है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है।

अवधी की लोकगाथाओं पर दृष्टि डालें तो उसमें निम्नलिखित तथ्य एवं तत्व प्रमुख रूप से इंगित होते हैं-

१. जातीय बोध-

पूर्व निवेदित है कि अवधी लोकगाथायें जाति विशेष में प्रचलित होकर, अपने अस्तित्व को बचायें हुए। इन गाथाओं में अपनी जाति बन्धु नायकों को प्रतिष्ठित करके, जाति की महत्त्वत्त्वता, अस्मिता बचाये रखने का प्रयास है। यह उल्लेख है कि कुछ राष्ट्रीय चरित्र की गाथायें (आल्हा, राणा बेणी माधव, सरवन, गोपीचंद, भरथरी, सीता वनवास आदि) को छोड़ दिया जाये तो यह गाथायें जाति विशेष में सुनी जाती हैं तथा इनके गायकों की जीविका और पारितोषिक की प्राप्ति जाति विशेष से होती है। जैसे- खुनखुनिया गाथायें अभीरों के मध्य प्रचलित है जैसे- माहे-परसू (पासी जाति), डल्ला का गौना (धानुक) चनैनी (भुजुआ) आदि।

२. श्रृंगार एवं शौर्य-

यह लोकगाथाओं का मूल स्वर है। वीर प्रधान गाथायें होने के कारण इनमें युद्ध और श्रृंगार की विशेष प्रवृत्ति पायी जाती है। युद्धों का मूल कारण जातीय अस्मिता और विवाह हैं।

३. लोकोत्तर घटनायें-

(क) आल्हा में मैहर देवी की आराधना के अतिरिक्त देवी दुर्गा, मनिया देवी द्वारा सहायता करना।

(ख) हरिया-ऊभन गाथा में मृत हरि और जीवा के सती होने के उपरांत शिव-पार्वती द्वारा जीवित करना।

(ग) सीता वनवास में ऋषि वाल्मिकी द्वारा सीता के पुत्र को न देखकर, कुशा से पुत्र उत्पन्न करना।

(घ) इन्द्रपरी का छलावा तथा अन्य गाथाओं में उड़न खटोला या उड़ने वाले घोड़े आदि की चर्चा।

४. चारागाह संस्कृति का प्रामुख्य–

इन लोकगाथाओं में चारागाह संस्कृति पायी जाती है। अतः एक खेत, फसल, दूध–दही, भैंस, गाय आदि ही संमृद्धि की पहचान है।

५. धर्म के प्रति आस्था–

लोकगाथाओं में धार्मिक आचार आदि की चर्चा है किन्तु अहिराईन, चन्द्रावली और कुसुमा का पंवाड़ा विशेष उल्लेखनीय है जिसमें मध्ययुगीन बोध के अनुसार मुस्लिम बनने का भय तथा अपने धर्म– हिन्दू तथा सत्त की रक्षा के लिए प्राण देने तथा उत्कंठा की चर्चा है।

६. समाज बोध-

समाज का आभिजात्य और सामान्य वर्ग में विभाजन-अवधी लोकगाथाओं में वर्णित समाज में दो वर्ग दिखाई देते हैं। एक अभिजात्य तथा दूसरा सामान्य। उल्लेख है कि सामान्य नायक भी अभिजात्य के समकक्ष पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं। समाज में वर्णगत, वर्गगत विभाजन है किन्तु समन्वयवादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है।

जैसे- आल्हा में- ‘‘नौकर-चाकर नहिं लागत हो, तुम तो भैया लोग हमार’’।

समाज में सामन्ती व्यवस्था एवं संयुक्त परिवारों का बोलबाला है। समाज में बहुपत्नीवाद, बहुविवाह, दहेजप्रथा, स्त्री प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन था।

७. सांस्कृतिक रूप में : अवधी लोकगाथाअें में संस्कारों एवं लोकाचारों को महत्त्व दिया गया। संस्कारों में जन्म, विवाह का विशेष महत्त्व था। विवाह के लोकाचारों में गौना, द्वारपूजा तथा तिलक का विशेष महत्व है। समस्त कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए शुभ साईत, ग्रह विचारना, पत्री विचारना आदि की चर्चा है।

मनोरंजन के लिए शिकार, मल्लयुद्ध, सांड़ों की लड़ाई, जुंआ, वैश्यावृत्ति आदि का प्रचलन था। अवतारवाद, ज्योतिष, शकुन-अपशकुन, भूत-प्रेम, जादू-टोना, लोक विश्वास प्राप्त होते हैं।

८. **धर्म के स्वरूप** पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि यहाँ शाक्त (आल्हा- मैहर देवी, शारदा, चनैनी में दुर्गा, बिहुला में मंशा देवी आदि हैं।) के अतिरिक्त शैव धर्म का भी प्रचलन है।

जैसे- रसौलिया की सहायता शिव-पार्वती द्वारा आदि साथ ही भरथरी-गोपीचंद जैसी गाथाओं में शैव से विकसित नाथ पंथ।

६. कथानक रूढ़ियाँ

(क) संदेशवाहक शुकादि।

(ख) योगवेश

(ग) जादू एवं दैविक शक्तियों का प्रयोग

(घ) रूप परिवर्तन

(ङ) अलौकिक पात्रों द्वारा सहायता

(च) बचपन में विवाह। वाग्दत्ता होने का उलाहना- नंद-भौजाई, मित्र-दुश्मन द्वारा देना।

(छ) बाल विवाह, वागदत्ता का गौना अथवा मिलन की प्रतीक्षा।

(ज) मिलने के पश्चात् बिछोह तथा पुनर्मिलन

(झ) नायक का बुद्धि अथवा बल परीक्षण

(ञ) सुखान्तक

१०. लोकमूल्य–

(क) वीरत्त्व तथा स्वाभिमान

(ख) प्रेम और औदात्य

(ग) कर्मठता

(घ) कर्म और भाग्य का समन्वय

(ङ) सत्य वचन

(च) त्याग और बलिदान

11. स्त्री विमर्श–

स्त्री के दो पक्ष, **प्रथम–** कामिनी एवं मनोहारी, त्यागी, पतिव्रता, वीरांगना तथा **द्वितीय–** कामुक, कुल्टा, स्वार्थी, श्रृंगार प्रिय आदि। इसके अतिरिक्त **स्त्री विमर्श के प्रमुख बिन्दु–** यौन उन्मुक्ता, अधिकारिकता, व्यवसायोन्मुख नारियों की स्थिति आदि पर भी चर्चा है।

१२. दलित विमर्श–

इस दृष्टिकोण से विचार करने पर बोध होता है कि इन गाथाओं में जन्मजाति पर कुण्ठा नहीं अपितु उस जाति की संस्कृति, अस्मिता पर गौरव प्रतीत होता है। यहाँ सामान्य के प्रति अभिजात्य वर्ग का सहृदयता का भाव है। इसमें दलित की वैचारिकता पूर्णरूपेण ध्वनित होती है।

१३. अवधी लोकगाथाओं में वाद्य के रूप में ढोलक, झाँझ, चिमटा, सारंगी, सूप, बंशी आदि वाद्यों का प्रचलन है।

१४. अवधी लोकगाथाओं का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया है इसमें कुल की अपेक्षा गुरू–शिष्य परम्परा का प्रधान्य है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अवधी लोकगाथाओं ने अपनी क्षेत्रीय संस्कृति के साथ-साथ जातिगत गौरव को भी सुरक्षित रखा है। वर्तमान में आधुनिकता तथा चाक्-चित्य के दौर में गायकों को हतोत्साहित होने से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसके लिए गायकों को मानदेय, गाथाओं का टेपांकन-फिल्मांकन किया जाये। विभिन्न पाठों की तुलना करके मूल पाठ स्थिर करके प्रकाशित किया जाए। उनकी मानकता को निर्धारित किया जाय। साथ ही लोकगाथाओं के आलोक में इतिहास को भी देखा जाए।

धन्यवाद